न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 08 / 2021

अनवान :–

1. आत्माराम पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा

–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

1. इन्द्रावती पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री भरतसिह बैनीवाल , अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 28/09/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 2/2 के खसरा न0 10 की 2.2770हैक व खसरा न0 9/1 की 2.4030हैक कुल 4.6800हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 ,2 सयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 129/82 के प0न0 397/472(78) के किला न0 16/0.2530 ,25/0.2530 ,प0न0 398/472(79) के किला न0 4 /0.253 ,7 ता 14 की 2.024हैक , 18 ता 23 की 1.518हैक कुल 4.3010हैक भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि की सीव डोल चिपती हुई है तथा प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई चालू व मन्जूरशुद्वा रास्ता नही है इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये मन्जुरशुद्वा रास्ता नही होने से परेशानी होती है।

प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिये गावं से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होकर चक 8 बारानी के प0न0 398/472(79) के किला न0 10 ,11 ,20 ,21 में से होते हुए उत्तर से दक्षिणी की और पश्चिम तरफ अपने खेत में प्रवेश करते है जो सुविधाजनक एवं नजदीकी है।

प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है जिसके बदले में बाजार भाव से रूपये या भूमि देने को तैयार है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया को कई दफा रास्ता स्वीकार करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु आजकल आजकल करती रही आखिर में इन्कार हो गई इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया हे।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 बारानी के प0न0 398/472(79) के किला न0 10 ,11 ,20 ,21 मे पश्चिम साईड की और उत्तर से दक्षिण की तरफ एक एक गटटा रास्ता स्वीकार फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीया जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान भूमि में आने जाने के लिये रास्ता स्वीकार चाहता है जिसके सम्बध में अप्रार्थीया को किसी प्रकार का ऐतराज नही है तहसीलदार नोहर ने मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 2/2 के खसरा न0 10 की 2.2770हैक्ट व खसरा न0 9/1 की 2.4030हैक्ट कुल 4.6800हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 ,2 सयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 129/82 के प0न0 397/472(78) के किला न0 16/0.2530 ,25/0.2530 ,प0न0 398/472(79) के किला न0 4 /0.253 ,7 ता 14 की 2.024हैक्ट , 18 ता 23 की 1.518हैक्ट कुल 4.3010हैक्ट भूमि अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि की सीव डोल चिपती हुई है तथा प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई चालू व मन्जूरशुद्वा रास्ता नही है इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये मन्जुरशुद्वा रास्ता नही होने से परेशानी होती है।

प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिये गावं से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होकर चक 8 बारानी के प0न0 398/472(79) के किला न0 10 ,11 ,20 ,21 में से होते हुए उत्तर से दक्षिणी की और पश्चिम तरफ अपने खेत में प्रवेश करते है जो सुविधाजनक एवं नजदीकी है।

प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है जिसके बदले में बाजार भाव से रूपये या भूमि देने को तैयार है।

अप्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपने ईकबाल जबाब पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहा गया है अप्रार्थीया ने प्रार्थीगण के कथनों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

पेरोकार ने भी निवेदन किया की सायल अपनी खातेदारी भूमि को रास्ता के रूप में दर्ज/ स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि में से अपने खेत में जाने के लिये रास्ता चाहा गया है प्रार्थीगण के कथनों को अप्रार्थीया ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीया को ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया गया है।

तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई सुविधाजनक रास्ता नही है प्रार्थीगण गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होते हुए अप्रार्थीया की चक 8 बारानी के प0न0 398/472(79) के किला न0 10 ,11 ,20 ,21 में से होते हुए उत्तर से दक्षिणी की और पश्चिम तरफ अपने खेत में प्रवेश करते यही रास्ता उपयुक्त होना अंकित किया गया है।

प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार करने में अप्रार्थीया ने सहमति जाहिर करने एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाना उचित है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 8 बारानी के प0न0 398/472(79) के किला न0 10 ,11 ,20 ,21 के पश्चिम साईड की और उत्तर से दक्षिण की तरफ एक एक गठठा स्वीकार किया जाता है एवं स्वीकृत किये गये रास्ते में जितनी भूमि आती है उसके डीएलसी दर से दुगनी राशि का भूगतान प्रार्थीगण अप्रार्थीया को करेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2021 / दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 23 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. आत्माराम पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 ओमप्रकाश पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा

–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

3 इन्द्रावती पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के प0न0 398 / 472(79) के किला न0 10 ,11 ,20 ,21 के पश्चिम साईड की और उत्तर से दक्षिण की तरफ एक एक गठठा स्वीकार किया जाता है एवं स्वीकृत किये गये रास्ते में जितनी भूमि आती है उसके डीएलसी दर से दुगनी राशि का भूगतान प्रार्थीगण अप्रार्थीया को करेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर